



Sevottam Compliant



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र सं.CIRCULAR.No. 01/2020

विषय: स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 16.01.2020 को हुई बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee- Minutes of the meeting held on 16.01.2020 - Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचीन के सभा गृह में आयोजित की गई। श्री मोहम्मद युसुफ, भा. रा. से., आयुक्त महोदय ने बैठक की अध्यक्षता की।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 11.00 "a.m." on 16.01.2020 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Mohd Yousaf, IRS, Commissioner, chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। श्री/श्रीमती/सुश्री

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. मोहम्मद युसुफ, भा. रा. से., आयुक्त Mohd Yousaf, IRS, Commissioner
2. एस श्रीमती संयुक्त आयुक्त S. Srimathi, IRS, Joint Commissioner
3. डॉ जे हरीश, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त Dr. J. Harish, IRS, Joint Commissioner
4. महेंद्रवर्मा रा, भा. रा. से. उप आयुक्त Mahindra Vermaa RA, IRS, Dy. Commissioner
3. जोसेफ सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
4. भुवनचंद्रन पी, वैज्ञानिक 'ई', एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
5. जी अनिल कुमार, मूल्य निरूपक अधिकारी G Anil Kumar, Appraising Officer

व्यापार तथा व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री/ श्री

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. जे एस. मंजुनाथ, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट J.S Manjunath, Cochin Port Trust
2. टी चंद्रशेखरन, कॉयर बोर्ड T. Chandrasekharan, Coir Board
3. के प्रेमलता, कॉयर बोर्ड K. Premlatha, Coir Board
4. एस एस सिंधु, प्लांट क्वारंटाइन S.S. Sidhu, Plant Quarantine
5. डॉ. वृषी, पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवा Dr. Vrushi, Animal Quarantine & Certification Service
6. आर कलावती, भारतीय रिजर्व बैंक R. Kalavathi, Reserve Bank of India
7. पॉल जे कोचार्ड, सी आई ए एल Paul.J. Kochard, CIAL
8. डॉ. जेस्टो जॉर्ज, एफ एस एस ए आई Dr. Jesto George, FSSAI
9. दिपिन कायथ, आई जी टी पी एल Dipin kayyath, IGTPL

10. टी.के. बीजू, सी एफ एस सी पी टी T.K. Biju, CFS CPT
11. बीजू आर. सी. एफ एस पेट्टाह Biju. R, CFS Pettah.
12. वी. वीर राघव, सी एफ एस जी डी के एल V. Veera Raghav, CFS GDKL
13. जोसमोन एम डी , सी एफ एस, सी आई सी एफ एस (के एस आई सी लिमिटेड की एक इकाई) Josemon. M.D, CFS, CICFS(A unit of KSIE Ltd)
14. अबे जोसेफ फिलिप, सी एफ एस, एम आई वी Abe Joseph Philip, CFS, MIV
15. ए.ए. फर्नांडीज, कोचीन कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन A.A. Fernandez, Cochin Customs Broker's Association
16. बीनू के.एस. वर्गीज जॉर्ज, कोचीन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन Binu K.S. Varghese George, Cochin Steamer Agents Association
17. एलेक्स के. निनन, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India
18. राजीव. एम, एफ आई ई ओ Rajeev. M, FIEO
19. एन.एन.मेनन, ट्रेडट्रेक N.N.Menon, Tradetrek
20. अब्राहम फिलिप, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry

अध्यक्ष ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत्त को सभा में पढ़ा गया।

हितधारकों को परिपत्र संख्या.09 / 2019 के बिंदु 3 के संदर्भ में सूचित किया गया, जिसमें, सी सी बी ए ने बी ओ ई का प्रिंट आउट (आर एम एस के लिए कंटेनर और डी पी डी कंटेनरों की सुविधा) लेने और आई सी टी टी से ओ ओ सी प्राप्त करने का अनुरोध किया इस संबंध में एक मूल्यांकन अधिकारी सी ई पी सी , आई सी टी टी ने कार्यालय आदेश संख्या 147 / 2019 के अनुसरण में नियुक्त किया गया।

तदनंतर हितधारकों द्वारा परिपत्र संख्या.10 / 2019 के बिंदु 6 (iii) पर हितधारकों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, जिसमें सार्वजनिक सूचना 39 / 2018-19 में संशोधन {कंटेनर स्कैनर (सड़क) के संस्थापन और कोचीन सी पोर्ट से गुजरने वाले आयात कंटेनरों की स्कैनिंग के बारे में} किया गया । सार्वजनिक सूचना 39 / 2018-19 को सार्वजनिक सूचना संख्या 22 / 2019-20 दिनांक 28.11.2019 के रूप में संशोधित किया गया ।

The Chair welcomed the members to the meeting. Thereafter the minutes of the previous meeting was readout to the gathering.

It was informed to the stakeholders consequent to the point 3 of the circular no.09/2019, wherein, CCBA requested to take print out of BOEs (for **RMS facilitated containers and DPD containers**) and obtain OOC from ICTT itself that one Appraising Officer has been posted to CEPC, ICTT vide O/O no.147/2019.

Consequent to the request, on the point 6(iii) of circular no.10/2019, wherein, amendment of the P/N 39/2018-19{regarding installation of Container Scanner (Road) & scanning of Import Containers passing through Cochin Sea Port} ,was made by the stakeholders. The PN 39/2018-19 has been issued amended as PN No. 22/2019-20 dated 28.11.2019.

तत्पश्चात बैठक में नए मुद्दे उठाए गए।

Thereafter fresh points were taken up for this meeting.

चर्चा हेतु नए मुद्दे FRESH POINTS FOR DISCUSSION.

कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर संघ के द्वारा उठाए गए नए मुद्दे

1. Fresh Points raised by The Cochin Customs Broker's Association:

मुद्दा i: एल सी एल बिल ऑफ एंट्री के लिए प्रिंट आउट तथा आउट ऑफ चार्ज आर्डर

Point i. : Print Out and Out of Charge order for LCL Bills of Entry

जैसा कि आप जानते हैं, एल सी एल कार्गो के अधिकांश भाग पोर्ट सी एफ एस, क्यू 10 में डी-स्टफ्ड होते हैं, जिसके लिए आयातकों को क्यू 10 से ही चार्ज ऑर्डर प्राप्त करना होता है। यह निकासी में देरी से बचने के लिए मददगार है। हाल ही में, एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके द्वारा आर एम एस के तहत बीई का आकलन किया जाता है, प्रिंट आउट और आउट ऑफ चार्ज दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति को वल्लारपाडम में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

As you are aware, majority of the LCL cargoes are de-stuffed at Port CFS, Q10, for which the importers obtain the out of charge order from Q10 itself. This is helpful to avoid delay in clearance. Recently, a new procedure is introduced by which the BEs assessed under RMS, the print outs and out of charges have to depute a person to Vallarpadam to collect the documents.

सुझाव :- हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया क्यू 10 से प्रिंट आउट और चार्ज ऑर्डर प्राप्त करने के पहले के तरीके को फिर से बहाल करें क्योंकि यह कार्गो की शीघ्र निकासी व व्यापार के लिए फायदेमंद होगा। शुल्क भुगतान के तुरंत बाद कार्गो को मंजूरी दे दी जा सकती है क्योंकि दोनों सीमाशुल्क और सीएफएस क्यू10 विलिंगडन द्वीप में हैं।

Suggestion: We request you to please reinstate the earlier practice of obtaining print outs and out of charge order from Q10 itself as it would be beneficial to the trade for speedy clearance of the cargo. Immediately after duty payment the cargo could be cleared as both Customs and CFS Q10 are in Willingdon Island.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है

Minutes of discussion are as below:

श्री ए.ए. फर्नांडीज, सी सी बी ए ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ कहा कि वे सी ई पी सी से प्रिंटआउट और ओ ओ सी लेने के उच्च शुल्क तथा वल्लारपाडम में दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। उन्होंने अनुरोध किया कि क्या क्यू 10 से ही प्रिंटआउट और प्रभार से बाहर ले जाने की संभावना है।

Shri A.A. Fernandez, CCBA with the permission of chair submitted that they were not expecting the high charges of taking printouts and OOC from CEPC, Vallarpadam and requirement of one person to depute to collect the documents. He requested that if is there a possibility to take printout and out of charge from Q10 itself.

संयुक्त आयुक्त डॉ. जे. हरीश ने सदस्यों को सूचित किया कि जब बी / ई ओ सी सी के लिए एफ सी एल और एल सी एल कार्गो कतार में हैं तो एफ सी एल या एल सी एल के संबंध में चुनिंदा रीति से आउट ऑफ चार्ज प्रदान करना संभव नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने श्री ए.ए. फर्नांडीज, सी सी बी ए अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

Dr. J. Harish, Joint Commissioner, informed the members that when B/Es for FCL and LCL cargoes queued for OCC then it is not possible give out of charge selectively in respect of FCL or LCL. Further, he requested Shri A.A. Fernandez, CCBA to reconsider his request.

अध्यक्ष ने कहा कि बी ओ ई के प्रिंट आउट (आर एम एस की सुविधा वाले कंटेनरों और डी पी डी कंटेनरों के लिए) लेने और आई सी टी टी से ओ ओ सी प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं सी सी बी ए द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार की गई थी और बार-बार परिवर्तन के लिए अनुरोध हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है।

श्री ए.ए. फर्नांडीज, CCBA ने चेयर की अनुमति के साथ, प्रस्तुत किया कि वह सदस्यों और स्टैक होल्डर्स के साथ परामर्श करेगा और मंच पर वापस आएगा।

अध्यक्ष ने हितधारकों को सूचित किया कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर इस बिंदु को फिलहाल के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

The chair opined that the arrangement for taking print outs of BOEs (for **RMS facilitated containers and DPD containers**) and obtain OOC from ICTT itself was made as requested BY CCBA and the request for frequent change is not convenient.

Shri A.A. Fernandez, CCBA with the permission of Chair, submitted that he would consult with the members and stake holders and come back to the forum.

The Chair informed the stake holders that in light of the above discussion the point is dropped for the time being.

(कार्रवाई के लिए For Action: मुद्दा निरस्त Point withdrawn)

मुद्दा ii: शुल्क वापसी के दावों की प्राप्ति में विलंब

Point ii. Difficulty in getting drawback claim

हम यह सूचित करना चाहते हैं कि शुल्क वापसी का दावा सफल हो गया है और कुछ शिपमेंट के लिए स्कॉल नंबर जेनरेट किये गए हैं, जो शिपर्स के खाते में जमा नहीं हुए हैं। पूछताछ में बताया गया कि स्कॉल नंबर को एस बी आई, मुंबई साइट के विदेशी मुद्रा विंग के साथ जोड़ा जाना है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शुल्क वापसी विभाग शिपर्स / सी बी को अपने बैंक खाते और ए डी कोड को फिर से पंजीकृत करने के लिए सलाह दे रहा है।

We wish to inform that the drawback claim passed and scroll number is generated for some shipments are not credited to the account of shippers. On enquiry it was informed that the scroll number has to be linked with the Foreign Exchange Wing of SBI, Mumbai site. Drawback department is advising the shippers/CBs to re-register their bank account and AD Code for sorting out this issue.

सुझाव : चूंकि समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है और यह शिपर्स के लिए समस्या उत्पन्न करती है, इसलिए यदि आप संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठा सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे।

Suggestion: Since the problem is arising very frequently and causing issues to the shippers, we would be grateful if you could take up this issue with the concerned authorities.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है

Minutes of discussion are as below:

श्री ए.ए. फर्नांडीज, सी सी बी ए ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ कहा कि विभाग द्वारा शुल्क वापसी संसाधित किए जाने और कुछ मामलों में उत्पन्न स्कॉल संख्या के बाद भी राशि शिपर्स के खातों में जमा

नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि एस बी आई, सी पी टी के साथ पूछताछ करने पर, उन्हें सूचित किया गया कि स्कॉल संख्या को एस बी आई, मुंबई साइट के विदेशी मुद्रा विंग के साथ जोड़ा जाना है।

Shri A.A. Fernandez, CCBA with the permission of chair submitted that even after the drawback was processed by the department and scroll number generated in some cases the amounts were not credited to the accounts of shippers. He submitted that on inquiry with SBI, CPT, he was informed that the scroll numbers have to be linked with the Foreign Exchange Wing of SBI, Mumbai Site.

श्री महेंद्रवर्मा रा, उप आयुक्त (शुल्क वापसी) ने सदस्यों को सूचित किया कि शिपर्स के कार्य न करने वाले / निष्क्रिय खातों के कारण कभी-कभी शुल्क वापसी राशि खातों में जमा नहीं हो पाती है।

Shri Mahindiravermaa RA, Dy. Commissioner (Drawback) informed the members that the reason for non-credit of the drawback amount sometimes due to non-operative/dormant accounts of the shippers.

संयुक्त आयुक्त डॉ. जे. हरीश ने हितधारकों को सूचित किया कि शुल्क वापसी लेनदेन में कोई विदेशी मुद्रा मुद्दा शामिल नहीं है, इसलिए स्कॉल संख्याओं को एस बी आई के विदेशी मुद्रा विंग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और इस मुद्दे को स्थानीय रूप से हल किया जा सकता है। शिपर्स को उन मामलों को निर्दिष्ट करने की सलाह दी जाती है, जहां राशि पूरे विवरण के साथ जमा नहीं की जाती है और इसे हल करने के लिए मामले को उप आयुक्त (ड्राबैक) के संज्ञान में लाया जाए।

Dr. J. Harish, Joint Commissioner, informed the stakeholders that there is no foreign exchange issue involved in the drawback transaction so linking of scroll numbers to the Foreign Exchange Wing of SBI may not required and the issue can be resolved locally. Shippers are advised to specify the cases where the amounts are not credited with full details and bring the matter to DC (Drawback) to get it resolved.

(कार्रवाई हेतु For Action:- उप आयुक्त, शुल्क वापसी अनुभाग DC, Drawback Section)

2. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उठाए गए नए मुद्दे

Fresh Points raised by Cochin Port Trust:

यह सूचित किया जाता है कि केवल पोर्ट सी एफ एस कोचीन में सी एफ एस के बीच एल सी एल आयात / निर्यात कार्गो को संभालने के लिए अधिकृत है। एल सी एल कार्गो के अधिकांश हिस्से को विल्लिंगटन आईलैण्ड के पोर्ट सी एफ एस में डी-स्टफ्ड किया जाता है, जिसके लिए सी एच ए खुद पोर्ट सी एफ एस से आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर प्राप्त करता था, जिससे कार्गो की निकासी की सुविधा तुरंत प्राप्त हो जाती थी।

This is to inform that the Port CFS is only authorized for handling LCL import/export cargoes among the CFS at Cochin. A majority of LCL cargoes are de-stuffed at Port CFS at Willington Island for which the CHA's used to obtain the Out of Charge order from Port CFS itself which facilitated the clearance of cargo immediately.

हाल ही में सी एच ए द्वारा पोर्ट के ध्यान में लाया गया कि उन्हें ए / ओ से प्रिंटआउट और आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर प्राप्त करना होगा, जिन्हें आई सी सी टी वल्लारपाडम टर्मिनल में तैनात किया गया है, जो उनके लिए बहुत असुविधाजनक है। इसलिए सी एच ए ने पोर्ट से अनुरोध किया कि पोर्ट सी एफ एस में तैनात सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा प्रिंटआउट प्राप्त करने और ओ ओ सी पर हस्ताक्षर करने के पहले के अभ्यास को पुनः जारी रखने के लिए वे सीमाशुल्क के साथ चर्चा करें जो व्यापार के लिए फायदेमंद होगा।

सीमाशुल्क गृह और पोर्ट सी एफ एस दोनों ही विल्लिंगटन आईलैण्ड में स्थित हैं अतः शुल्क भुगतान के तुरंत बाद कार्गो की निकासी के लिए पहले की प्रणाली आसान होगी।

उपरोक्त के मद्देनजर इ एक्स आई एम व्यापार के हित में पोर्ट सी एफ एस में पूर्व में दी गई सुविधा को व्यवस्थित करने का अनुरोध किया जाता है।

Recently it is brought to the notice to the Port by the CHAs that they have to obtain the printout and the Out of Charge Order from the A/O who is posted at the ICCT Vallarpadam Terminal which is very inconvenience to them. Hence the CHAs requested the Port to discuss with Customs to switch over earlier practice of obtaining the printout and signing of OOC by Customs Official posted at Port CFS itself which would be beneficial for the trade. Also the earlier system would be easier for clearance of cargo immediately after the duty payment as the Custom House and Port CFS both are situated in Willington Island itself.

In view of the above it is hereby requested to arrange the facility as provided earlier at Port CFS in the interest of EXIM Trade.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है

Minutes of discussion are as below:

अध्यक्ष की अनुमति के साथ श्री जे एस मंजूनाथ, सी पी टी ने कहा कि पोर्ट सी एफ एस, कोचीन में सी एफ एस के बीच एल सी एल आयात / निर्यात कार्गो को संभालने के लिए अधिकृत है, और जो पहले पोर्ट सी एफ एस से चार्ज और प्रिंटआउट लेने के कार्य किया जाता था उसे बहाल किया जा सकता है और इससे एल सी एल कार्गो की निकासी हेतु सुविधा भी होगी।

अध्यक्ष ने हितधारकों को सूचित किया कि इस मामले पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और परिवर्तन सी सी बी ए द्वारा अनुरोध के अनुसार किया गया था। हालांकि, हितधारक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और वह इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।

Shri J S Manjunatha, CPT with the permission of chair submitted that Port CFS is authorized for handling LCL import/export cargoes among the CFS at Cochin, and earlier practice of taking out of charge and printout from port CFS can be restored and that will also facilitate the clearance of LCL cargoes.

The Chair informed the stake holders that the matter is already discussed and the change was done as requested by CCBA. However, the stakeholders may resubmit the proposal and he would consider it positively.

(कार्रवाई हेतु For Action:-सहायक आयुक्त, डॉक्स AC, Docks)

उपरोक्त के अलावा सदस्यों द्वारा बैठक में निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई:

पी टी एफ सी बैठक के लिए एक विशेष तारीख में (जो पहले महीने के तीसरे मंगलवार को था) और यथासंभव दोपहर को तय करने का प्रस्ताव।

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि पी टी एफ सी की बैठक हर महीने के तीसरे मंगलवार को किया जा रहा है और जहां तक संभव हो दोपहर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कुछ अत्यावश्यक और जरूरी मामलों के कारण पी टी एफ सी बैठकों का संचालन निश्चित तिथि पर करना संभव नहीं हो पाया।

अध्यक्ष ने सदस्यों को यह भी बताया कि अगली बैठक के लिए एस बी आई, सी पी टी शाखा के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाएगा।

Apart from above the following points were also discussed in the meeting by the members:

The proposal for fixing a particular date for PTFC meeting (earlier third Tuesday of the month was the date) and preferably in afternoon.

The chair informed the members that PTFC meeting on third Tuesday of every month continues and will be conducted in the afternoon as far as possible. It has been due to some exigency and urgent matters it was not possible to conduct recent PTFC meetings on the fixed date.


The chair also informed the members that the representative from SBI, CPT branch will be called for the next meeting onwards.

चूंकि चर्चा के लिए सदस्यों द्वारा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया अध्यक्ष ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की सूचना सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in द्वारा दी जाएगी। यदि चर्चा के लिए कोई मुद्दा हो तो उन्हें भेजा जा सकता है। पूछताछ, यदि कोई हो तो उसे दूरभाष संख्या 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com इस ई-मेल पते पर की जा सकती है।

यह आयुक्त सीमा शुल्क (अध्यक्ष पीटीएफसी) की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

Since no other points were raised by the members for discussion, the Chair declared the meeting closed by thanking the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com.

This is issued with the approval of Commissioner of Customs (Chairman PTFC).


(एस श्रीमती, S. SRIMALATHI)
अपर आयुक्त Addl.. COMMISSIONER

F.No.S.65/17/2018-CCU-CUS
दिनांक Dated: 04/01/2020

// Attested //


(Baiju Daniel) 04/01/2020

Appraising Officer

को प्रस्तुत Submitted to:

1. The Principal Chief Commissioner of Central Excise, Central Tax & Customs, Kerala Zone, Cochin.

2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

3. CCBA, Cochin.

4. Cochin Port Trust.

प्रतिलिपि:सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/ पी टी एफ सी के सभी सदस्य

Copy to: Joint Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ All members of PTFC
ई डी आई अनुभाग (सीमाशुल्क की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)EDI (for uploading on customs website) ✓